उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड की कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रथम बैठक दिनांक 10 मई, 2010 का कार्यवृत्त

उपस्थितः–

1. डा0 विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा0 जे0के0 जोशी, निदेशक	सदस्य
3. डा0 अशोक सिंह, निदेशक	सदस्य
4. डा0 एम0पी0 सिंह, निदेशक	सदस्य
5. डा0 (श्रीमती) अनिल बिष्ट, निदेशक	सदस्य
6. डा0 अजय रावत, निदेशक	सदस्य
7. डा0 बी0 कुमार, निदेशक संचार, पंत वि0वि0	सदस्य
8. डा0 बी0आर0 पंत, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न भी विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित हुएः–

1. श्रीमती जयन्ती हयांकी, वित्त नियंत्रक
2. श्री डी0के0 सिंह, उपकुलसचिव
3. श्री महिपाल बिष्ट, सहायक कुलसचिव
4. श्री एम0सी0 जोशी, सहायक कुलसचिव
5. डा0 मंजरी अग्रवाल, शैक्षणिक परामर्शदाता
6. श्री पी0सी0 पपनै, प्रशासनिक परामर्शदाता
7. श्री एन0सी0 पाण्डेय, प्रशासनिक परामर्शदाता
8. श्री गिरीश छिमवाल, शैक्षणिक परामर्शदाता
9. श्री रंजन कुमार पाण्डे, वरिष्ठ परामर्शदाता
10. श्री अनुग्रह भारद्वाज, परामर्शदाता

बैठक के आरम्भ में कुलपति द्वारा सभी सदस्यगणों एवं अन्य का स्वागत करते हुये, विश्वविद्यालय के स्वरूप पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिये सभी से सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की। यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि सभी पाठ्यक्रमों को यथा सम्भव प्रदेश के अति दुर्गम तथा दूरस्थ स्थान तक पहुँचाया जाय। इस दिशा में कार्य हेतु विभिन्न अंचलों में अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने के उद्देश्य से इस संबंध में स्थलीय निरीक्षण कर सम्भावनाओं का आंकलन करने लिये निरीक्षण दलों का गठन कर उनके माध्यम से अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक संस्थाओं से आवेदन प्राप्त किये गये। परीक्षणोपरान्त ऐसे अध्ययन केन्द्रों को जो पाठ्यक्रम चलाने के लिये उपयुक्त समझे गये हैं उन्हें विचारार्थ आज की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर्वप्रथम मान्यता बोर्ड के कृत्यों एवं शक्तियों तथा क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक अधिनियम एवं परिनियमों की व्यवस्था से परिषद को अवगत कराया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यसूची टिप्पणी पर विचार–विमर्श आरम्भ किया गया तथा निम्न संस्तुतियां की गयीः–

क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापनाः– परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 5 (11) तथा अध्यादेश की अध्याय 05 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुये मत व्यक्त किया कि क्षेत्रीय केन्द्र उसके अधीन संचालित सभी अध्ययन केन्द्रों पर संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन, प्रवेश संबधी कार्य, परिनियमों एवं अध्यादेशों की